

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

Rule 88 : Identification number for each transaction

- (1) A unique identification number shall be generated at the common portal for each debit or credit to the electronic cash or credit ledger, as the case may be.
 - (2) The unique identification number relating to discharge of any liability shall be indicated in the corresponding entry in the electronic liability register.
 - (3) A unique identification number shall be generated at the common portal for each credit in the electronic liability register for reasons other than those covered under sub-rule (2).
-

नियम 88 : प्रत्येक संव्यवहार के लिए पहचान संख्या

- (1) विशिष्ट पहचान संख्या, यथास्थिति, इलेक्ट्रॉनिक नकद या प्रत्यय खाते में प्रत्येक विकलन या प्रत्यय के लिए सामान्य पोर्टल पर तैयार की जाएगी।
 - (2) किसी दायित्व के उन्मोचन से सम्बन्धित विशिष्ट पहचान संख्या इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में तत्स्थानी प्रविष्टि में उपदर्शित की जाएगी।
 - (3) विशिष्ट पहचान संख्या उप-नियम (2) के अन्तर्गत आने वाले कारणों से भिन्न कारणों के लिए इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में प्रत्येक प्रत्यय के लिए सामान्य पोर्टल पर तैयार की जाएगी।
-